


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(09/18)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती कुसुमलता यादव, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन उपकेन्द्र बिशाला आगौर, खण्ड बाड़मेर (बाड़मेर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 28.11.2016 से 27.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 28.11.2018 से 29.01.2019 तक 63 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 30.01.2019 से 27.03.2019 तक 57 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 28.03.2019 से 27.11.2019 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक:- 03/04/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(09/18)/2018/642

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड बाड़मेर (बाड़मेर)।
3. प्रधानाचार्य, संस्कार नर्सिंग स्कूल, अजमेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर